विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
5(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, पत्रांक संख्या-197/बी0जे0पी0यू0पी0/2024 दिनांक 22.08.2024 जो कि जनपद-लखनऊ के शारदा नगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सैनिक नगर गली नं0-12 बी में विगेन्द्र सिंह के घर से जनकल्याणेश्वर मंदिर होते हुए माता बदन पाल के घर तक सड़क मरम्मत एवं साइड पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हाँ।
(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?	सड़क मरम्मत एवं साइड पर इण्टरलॉकिंग कराये जाने के संबंध में।
(ग) उपरोक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब कराया गया है ?	प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसाइटी/कॉलोनाईजर द्वारा अनधिकृत रूप से बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कॉलोनियों के विकास का प्रथम दायित्व संबंधित सोसाइटी/कॉलोनाईजर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनोंसे प्राथमिकता निर्धारित करते हुये समय-समय पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता तथा स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यो ?	उपरोक्तानुसार।
(ड.) क्या उपरोक्त सड़क का मरम्मत एवं साइड पर इंटरलाकिंग का कार्य करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(च) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।